

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 437 / 2023 दिनांक : 13.02.2023

श्री अनिल कुमार आर्य (RJ0274), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 04.01.2023 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश ।
2. दिनांक 05.01.2023 से 11.01.2023 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश ।

श्री आर्य की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर के पद पर ही की गई ।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/98/1996/1060

दिनांक : 13.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर को उनके पत्रांक 03 दिनांक 12.01.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल कुमार आर्य (RJ0274), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार